कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- 248 /15-1, पीलीभीत,   दिनांक 07 /08/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषय :- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर- बिलसण्डा मार्ग संख्या- 62 पी0ए0 के चैनेज 5.924 से 5.959 दॉयी पटरी पर ग्राम- ईटगांव, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या- 821 मे रिटेल आउट लेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others30687/2017)

सन्दर्भ :- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ का पत्रांक- 2450/11-सी FP/UP/Others/30687/2017, दिनांक- 25.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम मे विषयक प्रकरण मे लगाई गयी आपत्तियो का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2020 को प्राप्त हुआ है।

अतः नोडल अधिकारी के पत्रांक 2501/11सी दिनांक- 24.11.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार अनुपालन आख्या एवं प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि प्रस्ताव की मूल प्रतियां उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें।

Observe No.	Conditions	Status of Complience
1	प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Ma संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के0एम0एल0 फाईल अपलोड नही है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।	प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दी गयी है।
2	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है। पुनः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिन्हित नही है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिन्हित संलग्न कर ऑनलाइल अपलोड करें।	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति पूर्व में संलग्न की गयी थी पुनः चिन्हित गजट नोटिफिकेशन संलग्न कर ऑनलाइल अपलोड कर दिया गया है।
4	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13iv में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर ऑनलाइन भाग-2 में क्रमांक-13iv में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13iv में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट के स्थान पर क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया था जिसको डिलीट कर ऑनलाइन भाग-2 में क्रमांक-13iv में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट अपलोड कर दी गयी है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नही है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।	भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक– 248 /15–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, 35ए कमला नेहरू मार्ग बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

ANUPALAN AAKHYA LETTER LIPULEK-BHIND MARG SH-29 KM 415 TO 416 GRAM KHAMARIYA NAWADIYA